कार्यालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील / आरटीआई / 53 / 2023

श्री रविन्द्रकुमार गोयल पुत्र श्री हजारीलाल जाति वैश्य निवासी ए–59 रनजीत नगर भरतपुर

......अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार भरतपुर

...रेस्पो0

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश **दिनांक 11.9.2023**

अपीलार्थी श्री रविन्द्रकुमार गोयल पुत्र श्री हजारीलाल जाति वैश्य निवासी ए–59 रनजीत नगर भरतपुर की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार भरतपुर के खिलाफ इस आश्य की प्राप्त हुई है कि अपीलार्थी ने सूचना अधिकार अधिनियम के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 10–07–2023 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार भरतपुर से सूचना चाही थी। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार भरतपुर द्वारा प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नही कराई गई है। वांछित सूचना दिलाये जाने की प्रार्थना की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र कमांक / कोर्ट / 621 दिनांक 29.08.2023 के द्वारा अपील की प्रति भेजते हुये लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार भरतपुर से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार भरतपुर से प्राप्त जबाब पत्र एलआर / 23 / 5970 दिनांक 4.9.2023 प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का अपील में कथन है कि उसके द्वारा चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार भरतपुर ने उपलब्ध नहीं कराई गई है। तहसीलदार भरतपुर से प्राप्त जबाब दिनांक 04.09.2023 का अवलोकन किया गया, जबाब में अंकित किया है कि अपीलार्थी / प्रार्थी को जरिये पत्र क्रमांक / एलआर / 2023 / 5523 दिनांक 4–8–2023 के द्वारा सूचना के बाबत अवगत कराया दिया गया है। तहसीलदार भरतपुर ने प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का

........2

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

अपील/आरटीआई/53/2023

(2)

रविन्द्र कुमार गोयल बनाम तहसीलदार भरतपुर

अधिकार प्रकोष्ठ) के परिपत्र दिनांक 02.02.2009 के बिन्दु सं.3 का उल्लेख करते हुये कि प्रार्थी को सूचित किया गया है:— कि "......सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्यों का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है.....।"

अपीलार्थी द्वारा दिनांक 10.7.2023 सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रेषित प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया जिसमें प्रार्थी ने तहसीलदार भरतपुर से निम्न सूचना चाही गई है :—

1— बाबत चाहने सूचना जमाबन्दी सम्वत 2072—2075 के खाता सं. 429 खसरा 2948,2951,309,314,315,316,357,358 बाके ग्रांम चक नं.2 कस्वा भरतपुर पर लगे नोट न.5 दिनांक 18.9.2018 न्यायालय जिला कलेक्टर भरतपुर के आदेश क्रमांक रीडर/94/1213—14 दिनांक 14.7.1994 से साविक न. 840 पर रहन वय मुन्तकिल का कार्यालय तहसीलदार भरतपुर के आदेश क्रमांक एल/16/215 का नोट अंकित है।

2— यह नोट किस न्यायालय के आदेश किस उनवान से किस दिनांक एवं मुकदमा नम्बर से अवगत करावें।

प्रार्थी के सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र में चाही गई सूचना के बिन्दू संख्या— 2 से स्पष्ट है जिस प्रकार सूचना चाही गई है, वह प्रश्नात्मक /सृजितनात्मक है। अतः लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार भरतपुर के जबाब से हम सहमत हैं।

अस्तु अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है आदेश की प्रति प्रार्थी को (लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार, भरतपुर से प्राप्त पत्र की फोटो प्रति सलंग्न) कर प्रेषित की जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार, भरतपुर को प्रेषित की जावे। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग,जवाहर लाल नेहरु मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर,
भरतपुर